

उत्तर प्रदेश शासन  
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2  
संख्या-18/2017/वे0 आ 0-2- 864/दस-2(एम)/2016  
लखनऊ: दिनांक: 14 सितम्बर, 2017

**कार्यालय-ज्ञाप**

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय-ज्ञाप संख्या-57/2016/वे0 आ 0-2-1261/दस-2016, दिनांक 17 अक्टूबर, 2016 द्वारा अध्यक्ष वेतन समिति के निजी स्टाफ के लिए सृजित निजी सचिव (निःसंवर्गीय) पद पर श्री नरेश कुमार, उत्तर प्रदेश सचिवालय से सेवा-निवृत्त निजी सचिव को ₹0 35,000/- प्रतिमाह नियत मानदेय पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतन समिति के कार्यकाल अथवा सेवाएं समाप्त किये जाने, जो भी पहले हो तक, के लिए नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय व्ययक अनुदान संख्या-65-लेखा शीर्षक-"2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-105 विशेष जाँच आयोग-03-राज्य आयोग और समितियाँ-0301-वेतन समिति का गठन" के अधीन संगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

अर्जुन सिंह  
विशेष सचिव।

**सं0-18/2017/वे0 आ 0-2-864(1)/दस-2(एम)/2016, तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

- 1- महालेखाकार, प्रथम (लेखा एवं हकदारी) उ0 प्र0, इलाहाबाद।
- 2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 3- अध्यक्ष, वेतन समिति।
- 4- सचिव, वित्त (वेतन आयोग)।
- 5- लेखाकार-कम-कोषाध्यक्ष, वेतन समिति (दो प्रतियाँ)
- 6- सम्बन्धित अधिकारी।
- 7- व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

के0 एल 0 वर्मा  
उप सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जरी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर के अस्तित्व नहीं है।
- 2- इस शासनादेश के प्रामाणिक वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।